राजस्व अपील संख्या : 7/2022

उनवान : भीकसिंह बनाम सुशीला बाई अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 7/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/4

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
1. भीकसिंह पुत्र जेठुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी वरावल, तहसील बाली, जिला–पाली राज.	बनाम	1. सुशीला बाई पत्नी शेषमलजी जाति महाजन, निवासी बेड़ा, तहसील बाली जिला पाली राज. 2. उषाकंवर पत्नी अर्जुनसिंह, जाति राजपुत, निवासी मोरीगांव, तहसील बाली जिला पाली राज. 3. मंजूकंवर पत्नी अनुक्रमसिंह, जाति राजपूत निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज जिला सिरोही राज. 4. तहसीलदार महोदय, बाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत् विरुद्ध ग्राम बेड़ा के खसरा नम्बर 03 व 04 के बाबत पारित व स्वीकृत म्यूटेशन सं. 2120 दिनांक 25.08.2021 स्वीकृत दिनांक 18.11.2021 जिसे तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. **अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पूर्णेश कुमार बोहरा उपस्थित।**
2. **रेस्पोडेण्ट संख्या 01, 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित।**

–:निर्णय:–

दिनांकः 13.01.2025.

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम बेड़ा के खसरा न. 03 , 04 के बाबत् पारित व स्वीकृत म्यूटेशन सं. 2120 दिनांक 25.08.2021 स्वीकृत दिनांक 18.11.2021 जिसे तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया के विरुद्ध पेश की गई। अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश किया। अपील सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया

प्रस्तुत अपील अनुसार ग्राम ग्राम बेड़ा चक न. 1 स्थित खसरा नम्बर 3 व 4 के बाबत् अपीलाण्ट की ओर से खातेदारी, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 40/2006 रेस्पोडेण्ट संख्या 01 और उनके पुत्र जयंतिलाल वगैरा के विरुद्ध सहायक कलेक्टर महोदय बाली के न्यायालय में वर्ष 2006 में पेश किया गया था। उक्त वाद के साथ में धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक आवेदन संख्या 16/2006

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

पेश किया था, जिसमें दिनांक 25.03.2006 को अंतरिम निषेधाज्ञा अपीलाण्ट के पक्ष में पारित किया गया था। तत्पश्चात अपीलाण्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 16/2006 दिनांक 20.06.2008 को खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध प्रथम अपील अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में अपील संख्या 35/2008 पेश कर अंतरिम अनुतोष प्राप्त किया था। उक्त अपील अंतिम रुप से दिनांक 19.02.2014 को निर्णीत कर स्वीकार की गई तथा सहायक कलेक्टर महोदय, बाली के न्यायालय में लंबित मूल वाद के निर्णय तक उपरोक्त खसरान् की कृषि भूमि में अपीलार्थी के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में रेस्पोडेण्ट दखल नहीं करें तथा रेस्पोडेण्ट भूमि का विक्रय हस्तान्तरण रहन व्ययन नहीं करें, साथ ही उपपंजीयक बाली एवं तहसीलदार बाली को भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ में किसी प्रकार का विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं करें, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावें।

तत्पश्चात सहायक कलेक्टर बाली के न्यायालय में चल रहे मूल वाद को दिनांक 25.04.2019 को गलत रुप से निर्णीत करते हुए खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील संख्या 23/2019 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में पेश की गई थी, जिसमें भी अंतरिम स्थगन आदेश अपीलाण्ट के पक्ष में पारित किया गया था, तत्पश्चात उपरोक्त अपील निर्णय दिनांक 07.04.2021 द्वारा स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को निरस्त किये जाने तथा मूल वाद को पुनः विधिनुसार सुनवाई हेतु सहायक कलेक्टर महोदय बाली के न्यायालय में रिमाण्ड किया गया, जहां पर वाद लम्बित है अर्थात उपरोक्त निर्णय अनुसार वाद लम्बित होना व समझा जाएगा। उक्त निर्णय के विरुद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व उनके पुत्रो ने द्वितिय अपील जरिये मुख्तियार अर्जुनसिंह पुत्र गुलाबसिंह के माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील संख्या 3246/2021 पेश की, जिसे केवल दर्ज किया गया और स्थगन बाबत् किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। उक्त अपील आज भी मान. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में लम्बित है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 40/2006 लम्बित है और उक्त वाद के लम्बित रहने के दौरान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2014 प्रभाव में होना माना जाएगा, क्योंकि जब तक वाद लम्बित रहेगा, तब तक उक्त आदेश प्रभाव में रहेगा। उक्त आदेश अनुसार उक्त आदेश में वर्णित रेस्पोडेण्ट को भूमि को विक्रय करने तथा भूमिधारी व उपपंजीयक को दस्तावेज पंजीबद्ध करने व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने और अपीलाण्ट के कब्जें, काश्त, उपयोग, उपभोग में दखल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 और उसके मुख्तियार अर्जुनसिंह को व्यक्तिशः होने के बाद भी और उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्रभाव में होने के बावजुद भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने मुख्तियार अर्जुनसिंह के माध्यम से खसरा संख्या 3 व 4 में से अपना संपूर्ण हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 25.08.2021 द्वारा

अति. जिला कलक्टर
पाली (राजस्थान)

CamScanner

विक्रय कर दिया, जबकि उस दिनांक को स्थगन आदेश प्रभाव में था तथा उपपंजीयक भी उक्त स्थगन आदेश से किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन करने से प्रतिबंधित था, फिर भी जानबुझकर रेस्पोडेण्ट संख्या एक और उसके मुख्तियार ने स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना करते हुए उपरोक्त दस्तावेज रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया है। रेस्पोडेण्ट संख्या दो मुख्तियार अर्जुनसिंह की पत्नी है और रेस्पोडेण्ट संख्या तीन मुख्तियार मुख्तियार अर्जुनसिंह की रिश्तेदार है, इस प्रकार इन सभी को यह ज्ञात था कि उपरोक्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि के सन्दर्भ में स्थगन आदेश प्रभाव में है, फिर भी जानबुझकर उपरोक्त दस्तावेज पंजीयन करवाया और उसके आधार पर जैर अपील म्यूटेशन दायर करवा दिया, जिसे रेस्पोडेण्ट संख्या चार ने जानबुझकर न्यायालय की अवमानना करने के आशय से स्वीकृत कर दिया, जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या चार तहसीलदार महोदय के विरुद्ध भी वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय प्रभावी है और राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने तथा यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबंद किया हुआ है। इस प्रकार से विवादित भूमि के सन्दर्भ में न्यायालय में वाद लम्बित होने तथा धारा 52 संपति हस्तान्तरण अधिनियम अनुसार "लीसपेण्डेंस" के आधार पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र और उसकी पालना में पारित जैर अपीलाधीन म्यूटेशन शून्य और अवैध है, जो प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है। उपरोक्त न्यायालय की अवमानना कर जानबुझकर निष्पादित विक्रय पत्र शून्य दस्तावेज है, जिसके आधार पर जैर अपील म्यूटेशन पारित किया गया है, जो भी स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है, इसलिए जैर अपील म्यूटेशन अवैध व शुन्य होने से अपास्त योग्य है। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन की अवहेलना में कोई दस्तावेज निष्पादित होता है तो वह शुन्य दस्तावेज है, जिसको अलग से सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त करवाये जाने की विधिक रुप से कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में शून्य दस्तावेज के आधार पर पारित जैर अपील म्यूटेशन स्वतः ही शून्य होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमावें तथा अपीलाधीन म्यूटेशन निरस्त फरमावें तथा पूर्व इन्द्राज पुनः दर्ज किये जाने बाबत आदेश अपास्त फरमावें।

रेस्पोडेण्ट 01, 02 व 03 की ओर अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 का जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत धारा 05 का जवाब निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। अपीलाधीन म्यूटेशन से अपीलाण्ट का कोई संबंध नहीं है। अपीलाण्ट नामान्तरकरण जैर अपील में दर्ज खातेदारी भूमि का न तो कभी खातेदार दर्ज रहा है न ही अपीलाण्ट के पक्ष में इस भूमि बाबत कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज आज दिन तक हुआ है। इस प्रकार सर्वप्रथम अपीलाण्ट को यह अपील ही पेश करने का अधिकार नहीं है, जिस कारण अपीलाधीन म्यूटेशन बाबत अपीलार्थी को नोटिस या सूचना देना का कानूनन भी कोई प्रावधान नही है, वादग्रस्त भूमि बाबत किसी न्यायालय से कोई स्थगन नही होने से रजिस्ट्री

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

हुई एवं नामान्तरकण भी हुआ है। अगर किसी न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना हुई है तो उस सक्षम न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही करने का प्रावधान है लेकिन नामान्तरकरण के मार्फत उसको चुनौती नही दी जा सकती है।

2. प्रार्थना पत्र का पद संख्या दो गलत होने से अस्वीकार है। अपीलार्थी जब नामान्तरकरण जैर अपील में दर्ज खातेदारी भूमि का कभी खातेदार दर्ज नही रहा तो उसको सर्वप्रथम जानकारी क्यो व किसे हुई इस बारे में स्पष्ट विवरण नहीं दिये जाने के कारण भी अपीलाण्ट की उक्त अपील म्याद बाहर है। सुशीला बाई द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित करने के दिन ही अपीलाण्ट की जानकारी में आ गया था, एवं जब तक विक्रय विलेख सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही हो जाता तब तक किसी भी व्यक्ति को उस विक्रय विलेख के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को चुनौती देने का कोई अधिकार नही है। अपीलाण्ट को भी जब तक विक्रय विलेख रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 के पक्ष में मौजूद है तब तक उस विक्रय विलेख के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को चुनौती देने का कोई अधिकार नही है। नामान्तरकरण स्वीकृति के बाद कानुनन एक माह के भीतर अपील पेश नही होने से अपीलाण्ट की अपील प्रथम दृष्टया म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

3. प्रार्थना पत्र का पद संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि बाबत अपीलाण्ट के पास न तो कोई खातेदारी हक है न ही कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज है, केवल मात्र रेस्पोडेण्ट को तंग व परेशान करने हेतु झूठे मुकदमें अपीलाण्ट आज दिन तक करता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में उक्त अपील भी बिना अनुमति के एक अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा जिसका नामान्तरकरण जैर अपील से कोई सम्बंध नही है, अपील पेश की गई है, जो स्पष्ट रुप से म्याद बाहर है, जिस कारण भी अपील को देरी से पेश करने के डिले को क्षमा नहीं किया जा सकता है। साथ ही अपील पेश करने बाबत् अनुमति नही होने से अपीलाण्ट की अपील काबिल खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील म्याद बाहर होने के साथ ही अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति द्वारा पेश करने से काबिल खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा विचाराधीन अपील में म्याद के बिन्दु को पूर्व में ही दिनांक 25.06.2024 को निर्णीत किया जा चुका है तथा अपील को मियाद शुमार माना गया।

अतः हस्तगत अपील की मूल विषयवस्तु पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। काबिल अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी के स्थगन आदेश दिनांक 19.02.2014 के उल्लंघन में रेस्पोडेण्ट्स द्वारा पंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 25.08.2021 तथा उसके अनुक्रम में खोला

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

गया नामान्तरकरण संख्या 2120 (स्वीकृति दिनांक 18.11.2021) प्रारम्भतः शून्य है एवं इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि, उक्त हस्तांतरण के समय प्रश्नगत आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली तथा न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन थे, जिससे प्रश्नगत हस्तान्तरण 'Lis Pendens सिद्धांत' के उल्लंघन के कारण भी अवैध है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व राज. भू–राजस्व नियम के नियम 121 से 138 की पालना आवश्यक है, किन्तु स्वीकारकर्ता अधिकारी ने प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान हड़बडी में एवं समुचित प्रक्रिया की पालना किए बिना आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 2120 स्वीकार किया है, जो कि अपास्त किए जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस को समेकित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलाण्ट प्रश्नगत आराजी में हितबद्ध एवं आलोच्य नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार इस रुप में है कि अपीलार्थी द्वारा इसी आराजी के संबंध में घोषणात्मक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में प्रस्तुत कर रखा है, जो आदिनांक विचाराधीन है तथा रेस्पोडेण्ट्स द्वारा आपसी मिलिभगत से किया गया हस्तान्तरण तथा उसकी पालना में खोले गए आलोच्य नामान्तरकरण को अपास्त किया जाए। अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष द्वारा अपने तर्कों के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए :–

1. 'कजोड़ी बनाम छाजू'(BOR) 2021(2) DNJ (R) 1245
2. 'सुमेरसिंह बनाम महेशकंवर' (BOR) 2022(1) DNJ (R) 719
3. 'प्रतापसिंह बनाम रामेश्वरलाल' व अन्य' (BOR) 2022(1) DNJ (R) 972

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान अपना पक्ष रखते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के वैधानिक अधिकारी ही नही है क्योंकि वह न तो प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है और न ही आलोच्य नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार। प्रश्नगत पंजीकृत विक्रय तथा उसके अनुक्रम में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 2120 उस भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा जरिए आम मुख्तियार किया गया था। यह भी, कि उक्त हस्तांतरण जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज के किया गया हस्तान्तरण है, जिसमें कब्जा इत्यादि बिन्दुओं की जांच करना अपेक्षित नही है। अपीलाण्ट के तर्क सरासर बेबुनियाद व आधारहीन है क्यों कि उक्त हस्तांतरण एवं आलोच्य नामान्तरकरण के समय किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। काबिल अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि चूंकि नामान्तरकरण एक Fiscal Proceedings है, जिससे कोई अधिकार सृजित नहीं होते है, अतः आलोच्य नामान्तरकरण में Doctrin of Lis Pendens के उल्लघंन का तर्क भी आधारहीन है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 7/2022
उनवान : भीकसिंह बनाम सुशीला बाई अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. 'बी.एम. काम्बेकर के वारिसान बनाम आर्थर....." 2019 DNJ (SC)131
2. 'जेठूसिंह बनाम भंवरसिंह' (HC) RRT 2003(1) 651
3. 'केरिया बनाम सांवलिया' RRD 1979 (1)

काबिल अधिवक्तागण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों का विवेचन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली तथा सलंग्न दस्तावेजों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

सर्वप्रथम तो, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलार्थी का यह तर्क सिद्ध नहीं होता कि न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन आदेश दिनांक 19.02.2014 के उल्लंघन में प्रश्नगत बेचान दिनांक 25.08.2021 तथा नामान्तरकरण संख्या 2120 (स्वीकृति दिनांक 18.11.2021) कारित किया गया। चूंकि उक्त स्थगन आदेश में मूल वाद प्रकरण संख्या 40/2006 के निर्णय तक हस्तान्तरण एवं पंजीयन पर रोक थी एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा उक्त वाद दिनांक 25.04.2019 को ही निर्णीत कर दिया गया था। प्रश्नगत विक्रय दस्तावेज के पंजीयन एवं आलोच्य नामान्तरकरण दायर होने के समय अन्य किसी स्थगन आदेश के प्रभावी होने संबंधि कोई भी दस्तावेज अपलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए है।

द्वितीयतः , अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो के पैरा 5 में Doctrin of Lis Pendens के आधार पर अर्थात विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित रहने के दौरान वादग्रस्त आराजी के संबंध में हुए हस्तान्तरण को सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानान्तर्गत काबिल खारिज मानने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अपीलार्थी को Doctrin of Lis Pendens के आधार पर उन्हीं न्यायालयों में चाराजोही करनी चाहिए, जहां उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद/अपील लम्बित है तथा जिनके लम्बित रहने के दौरान उक्त अन्तरण प्रभाव में आए। अपितु, न्यायालय हाजा में पृथक से अपील प्रस्तुत करना स्वयं अपीलार्थी द्वारा वादबाहुल्यता बढाने की श्रेणी में ही माना जाएगा।

तृतीयतः , अपीलार्थी द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जा इत्यादि बिन्दुओं की जांच नहीं करने तथा इस कारण राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रुल्स, 1957 के नियम 121 से 138 के उल्लंघन की स्थिति में उक्त नामान्तरकरण को काबिल खारिज करार देने का तर्क प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त रिकॉर्ड में कहीं भी यह जाहिर नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अन्तरक एवं अन्तरिति के मध्य कब्जे को लेकर कोई विवाद हो। अर्थात जब संबंधित पक्षकारों द्वारा कब्जें का प्रश्न ही नहीं उठाया गया तो राजस्व कर्मियों तथा स्वीकृति अधिकारी तहसीलदार, बाली से यह अपेक्षित नहीं था कि कब्जे संबंधित बिन्दु की जांच करें। आलोच्य नामान्तरकरण की परत में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिकॉर्ड अनुसार जांच कर इन्द्राज सही होने की टिप्पणी की गई है, जो कि पर्याप्त है।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)
P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 7/2022

उनवान : भीकसिंह बनाम सुशीला बाई अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

चतुर्थतः, न्यायालय हाजा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स के इस तर्क से सहमत है कि नामान्तरकरण एक Fiscal Proceedings है जिससे स्वामित्वाधिकार या टाईटल निर्धारित नहीं होता है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील मीमों के साथ एवं सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी में किस प्रकार से 'हितबद्ध पक्षकार' है अथवा आलोच्य नामान्तरकरण से किस रुप रुप से 'प्रभावित पक्षकार' है। न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर देने मात्र से अपीलार्थी को यह वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वह प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा पंजीकृत विक्रय दस्तावेज के माध्यम से किए हस्तान्तरण को चुनौति दे सके।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी क्रमशः विरासत के नामान्तरकरण से संबंधित होने, सिविल न्यायालय में वाद लम्बित होने तथा अपंजीकृत विक्रय दस्तावेज से संबंधित होने के कारण हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते है।

अतः उपरोक्त वजूहातों के कारण ग्राम बेड़ा के खसरा नम्बर 3 एव 4 के संबंध में पारित नामान्तरकरण संख्या 2120 (स्वीकृति दिनांक 18.11.2021) में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला-पाली